कद अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

र्थी :– मांगीबाई उर्फ देवली बाई विपक्षी :– अम्बालाल

केस्म मुकदमा :– वाद प्रकरण संख्या :– 129 / 2022

क्रमांक कार्यवाही विवरण सन : 2022

दिनांक : 06.11.2024	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर तहसीलदार गिर्वा से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि मौके पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी द्वारा बताया गया कि हमारे भाईयों के बीच भूमि का कोई विवाद नहीं है इन्होंने बताया कि हम आपस में संयुक्त कृषि कार्य कर रहे है साथ ही उक्त प्रारम्भिक डिक्री के मुकाबले बटवाडा नही कराना है। वादी द्वारा बताया गया कि मुझ मेरे दोनों भाईयों पर पुरा पुरा विश्वास है मेरी पुरी पुरी देखभाल कर रहे है। इन्होंने बताया कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 129 / 2022 में वादी होकर में प्रतिवादी से इस प्रकरण में कोई पारितोष नहीं लेना चाहती है। प्रकरण में वादी प्रतिवादीगण रिश्ते में तीनों भाई– बहन है। वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमती से बंटवाडा नहीं चाहते है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी अधिवक्ता को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिए गए बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं होने से पत्रावली का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर होने से यह स्पष्ट होता है कि वादीया अब वाद में बंटवारा नहीं चाहकर इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण बंटवारा नहीं चाहने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिया डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर